प्रेस विज्ञप्ति

जनपद हाथरस में रबी 2020-21 में राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर अवशेष गेहूँ बीज मात्रा 1023.40 कु0, जो शोधित एवं अधोमानक है की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 28.01.2022 को समय दोपहर 12:00 बजे स्थान कार्यालय उप कृषि निदेशक, हाथरस पर समिति के समक्ष की जायेगी। शोधित गेहूँ बीज राजकीय कृषि बीज भण्डार, सिकन्दराराऊ मात्रा 221.00 कु0, हसायन मात्रा 90.00 कु0, मुरसान मात्रा 115.40 कु0, सासनी मात्रा 147.00 कु0, हाथरस मात्रा 151.20 कु0, सादाबाद मात्रा 222.40 कु0 एवं सहपऊ मात्रा 76.40 कु0 कुल जनपद में 1023.40 कु0 शोधित बीज भण्डारित हैं। नीलामी बोली बोलने वाले क्रेता /फर्मों को 2.00 लाख रू0 अग्रिम धरोहर राशि जिला कृषि अधिकारी, हाथरस के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट या फिक्स डिपोजिट (एफ0डी0) के द्वारा नीलामी स्थल पर 11:00 बजे कैशियर, जिला कृषि अधिकारी, हाथरस के पास जमा करनी होगी। नीलामी में भाग लेने वाली फर्मों का शोधित बीज से स्टार्च, लेई, गोंद बनाने हेतु उद्योग विभाग से निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं शोधित गेहूँ बीजों को खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त न किये जाने का नोटरी शपथ पत्र नीलामी के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता/क्रेता नीलामी से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में जनपद के विकास खण्डों में स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर नीलामी हेतु अवशेष शोधित गेहूँ बीज देख सकते हैं। विस्तृत नीलामी की शर्ते नीलामी स्थल, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, केन्द्रीय बीज भण्डार हाथरस एवं समस्त राजकीय बीज भण्डारों के सूचना पट पर कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

(आर के सिंह)
जिला कृषि अधिकारी
हाथरस।

कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक 671 /कृषि अयोग्य बीज/नीलामी/2021-22 दिनांक 12.01.2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक निदेशक कम्प्यूटर, कृषि भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. उप कृषि निदेशक हाथरस।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
4. अपर कृषि निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र), उ0प्र0 कृषि भवन, लखनऊ।
5. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

12.01.2022
जिला कृषि अधिकारी
हाथरस।

सहायक निदेशक
(समन्वय एवं कम्प्यूटर) 14/1/22

neelami13

जनपद हाथरस में रबी 2020-21 में अवशेष/शोधित गेहूँ बीज मात्रा 1023.40 कु0 की नीलामी की शर्ते एवं नियम

नीलामी स्थल : कार्यालय उप कृषि निदेशक, हाथरस। (अलीगढ़ रोड नहर के पास, हाथरस)

नीलामी का दिनांक व समयः 28.01.2022 दोपहर 12:00 बजे

1. क्रेता/फर्म को जी0एस0टी पंजीकरण/आधार कार्ड/पेन कार्ड/पत्राचार का पता/ई-मेल आई0डी0/मोबाइल नं0 नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।

2. नीलामी बोली बोलने वाले क्रेता/फर्मो को 2 लाख रू0 अग्रिम धरोहर राशि 'जिला कृषि अधिकारी, हाथरस' के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट या फिक्स डिपोजिट (एफ0डी0) के द्वारा नीलामी स्थल पर 11:00 बजे कैशियर, जिला कृषि अधिकारी, हाथरस के पास जमा करनी होगी।

3. बोलीदाता/क्रेता नीलामी से पूर्व किसी भी दिन जनपद के समस्त राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर अवशेष /शोधित बीज को स्थिति को देख सकते हैं।

4. शोधित बीज की मात्रा नीलामी के समय उपलब्धता के अनुसार परिवर्तनीय है।

5. नीलामी में कम से कम तीन बोली दाताओं/फर्मो को भाग लेना आवश्यक होगा। तीन से कम बोली दाता होने पर नीलामी निरस्त मानी जायेगी।

6. सर्वोच्च बोली बोलने वाले को 25 प्रतिशत बोली की धनराशि बोली समाप्त होने के तत्काल बाद जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर दूसरे नम्बर के बोली दाता को इस शर्त के साथ अवसर दिया जायेगा कि पहले नीलामी क्रेता द्वारा बोली गई धनराशि पर ही सहमत होने की दशा में बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर उसे नीलामी दे दी जायेगी।

7. संयुक्त कृषि निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ से नीलामी धनराशि की स्वीकृति मिलने के उपरान्त नीलाम हुए बीजों को उठाने से पूर्व नीलामी की समस्त धनराशि 1.5 प्रतिशत मण्डी कर एवं 5 प्रतिशत व्यापार कर सहित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कर चालान की प्रति कैशियर, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, हाथरस के पास जमा कर नीलाम बीज तीन दिन के अन्दर उठाना होगा। तीन दिन के अन्तर्गत उठान न करने की दशा में डैमेज चार्जेज एवं किराया बोलीदाता से वसूल किया जायेगा।

8. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त कर सकेगी, जिस पर नीलामी में भाग लेने वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही कोई विधिक/न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

9. समिति का निर्णय अंतिम होगा जो नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मान्य होगा।

सचिव नीलामी समिति/
जिला कृषि अधिकारी
हाथरस।

neelami12